



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in,
Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-16

Comp No. 12221

फा.11-Adm1072/1/2019-Admn.I/ 319- 388

दिनांक: 15.10.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 27.12.2024 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। **केन्द्रीय विद्यालय नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (संसदीय क्षेत्र- गढ़वाल) दिसम्बर, 2024** में स्वीकृत 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2027-28 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विद्यालय कोड	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2027-28 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा :
2568	केन्द्रीय विद्यालय नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	केन्द्रीय विद्यालय नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। पिन कोड-249175.

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि एवं अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबन्धित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

(दीपेश गहलोत)

अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।

6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92.
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
9. निदेशक (केन्द्रीय विद्यालय संगठन), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली ।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्./प्रशिक्षण/ कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
12. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय) देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
17. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
19. अध्यक्ष/सचिव, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।